



Neutral Citation No. -2026:AHC:13799

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43857 वर्ष 2024

जावेद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : कृष्ण कांत मिश्रा, विवेक शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद सूची प्रतिवादी की गई।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा वाद अपराध संख्या 97 सन् 2024, धारा 498-ए, 304-बी, 307, 302 आई.पी.सी, थाना- लोनी बॉर्डर, जनपद- गाजियाबाद में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

4. अभियोजन कथा के अनुसार, आवेदक पर दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने का आरोप है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तत्पश्चात आवेदक के विरुद्ध आई.पी.सी की धारा 302 के अंतर्गत भी आरोप निर्धारित कर दिया गया है। निकट भविष्य में विचारण समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक 18.02.2024 से कारागार में निरुद्ध है; अतः उसकी निरुद्धता की अवधि लगभग 2 वर्ष से कुछ कम है। वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने इस आधार पर जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध किया कि आवेदक मृतका का पति है और मृतका की मृत्यु आवेदक के घर के परिसर के भीतर हुई है; अतः वह जमानत का अधिकारी नहीं है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से विचारण की स्थिति-रिपोर्ट तलब की थी। उक्त स्थिति-रिपोर्ट दिनांक 13.12.2025 के अनुसार, दो साक्षियों का परीक्षण हो चुका है और विचारण प्रगति पर है। पी.डब्ल्यू.-2 का प्रतिपरीक्षण लंबित है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा इस तथ्य पर विचार करने के उपरान्त कि मृतका की मृत्यु आवेदक के घर के परिसर के भीतर हुई तथा मृत्यु का कारण प्राप्त पूर्व-मृत्युकालीन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चोटें हैं, मैं आवेदक को जमानत दिए जाने हेतु इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता हूँ। जमानत प्रार्थना-पत्र गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार **निरस्त** किया जाता है।

9. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त वाद का निस्तारण, यदि कोई विधिक बाधा न हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों **विनोद कुमार बनाम स्टेट ऑफ पंजाब; 2015 (3) एस.सी.सी 220** तथा **हुसैन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया; (2017) 5 एस.सी.सी 702** में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, यथाशीघ्र किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और विचारण के दौरान प्रकरण के गुण-दोष पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

जनवरी 20, 2026

रवि कांत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।